

'सी' श्रेणी पंजीकरण

शासनादेश संख्या 3460 / 23-7-08-41एम.एस.ए./54टी.सी.-III दिनांक 28-07-2008 एवं शासनादेश संख्या 2466/92-1-2018-65एम/2014 दिनांक 30-07-2018 एवं ठेकेदारों के पंजीकरण एवं वर्गीकरण नियमावली 1982 के अधीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड रामपुर द्वारा कराये गये प्रपत्रों के सत्यापन तथा उनके पत्र संख्या 1714 दिनांक 02.03.2019 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर ठेकेदार श्री राधे लाल पुत्र श्री सोहन लाल निवासी- ग्राम मझरा काशीपुर तह0 सदर जिला रामपुर जो कि अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते है का इस परिमण्डल के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के ठेके हेतु श्रेणी "सी" में क्रमांक 351 पर पंजीकृत किया जाता है। यह पंजीकरण दिनांक 30-06-2021 तक के लिये मान्य होगा। तदोपरान्त स्वतः समाप्त माना जायेगा। नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के 2 माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कोटि:- मार्ग निर्माण

धरोहर राशि रू0- 50,000-00

पेन नं0- ABFPL9711M

जी0एस0टी0 नं0- 09ABFPL9711M1Z6


16/3/19
(राम चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मुरादाबाद परिमण्डल मुरादाबाद। 16/3/19

पत्रांक 1610 / झा0-64 (351) / ग्रा0अ0वि0 / 2018-19 दिनांक 26/3/19

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री राधे लाल पुत्र श्री सोहन लाल निवासी- ग्राम मझरा काशीपुर तह0 सदर जिला रामपुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड मुरादाबाद / रामपुर / बिजनौर / अमरोहा / सम्भल तदानुसार अनुपालन एवं अभिलेखार्थ प्रेषित।



16/3/19
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल मुरादाबाद।
(शिप्रा सक्सेना)
कनिष्ठ सहायक
16/3/19
(रविशंकर सिंह)
प्रधान सहायक

माप्ट धात न
6/7/19